न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/222/2019

उनवान

1. पन्ना पुत्र देवा गाडरी निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. प्यारी पुत्री देवा गाडरी निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा
2. बरजी पुत्री देवा गाडरी निवासी नई ईरास
3. मांगी पुत्री देवा गाडरी निवासी नई ईरास
4. बरदी पुत्री देवा गाडरी निवासी नई ईरास
5. ऊंकार पुत्र देवा गाडरी निवासी नई ईरास
6. रामप्रसाद पुत्र छोगा गाडरी निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा
7. नानू धर्मपत्नि स्व0 छोगा गाडरी निवासी नई ईरास तहसील व जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 33/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री नंदकिशोर शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एच डी वर्मा ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी 1 से 4
3. श्री एल एल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7

निर्णय

दिनांक 16.1.2020

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188, 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजस्व ग्राम नई ईरास पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जेयाबी व स्वामित्व की खाता संख्या 171 की आराजी संख्या 2995 रकबा बीघा 11बिस्वा, आराजी नम्बर 3033 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 3034 रकबा03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3035 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार खाता सख्या 172 की आराजी संख्या 2948 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 3018 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुली रकबा 14 बिस्वा स्थित है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 89 की आराजी संख्या 3020 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 3021 रकाब 03 बीघा 07 बिस्वा, आराजीसंख्या 3038 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा स्थित है।

2. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

नाना
↓
देवा
↓

छोगा	प्यारी	पन्ना	बरदी	बरजी	ऊंकार	मांगी	अणछी	जमनी
(फौत)	पुत्री	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री

छोगा ↓

रामप्रसाद	नानू
पुत्र	बेवा

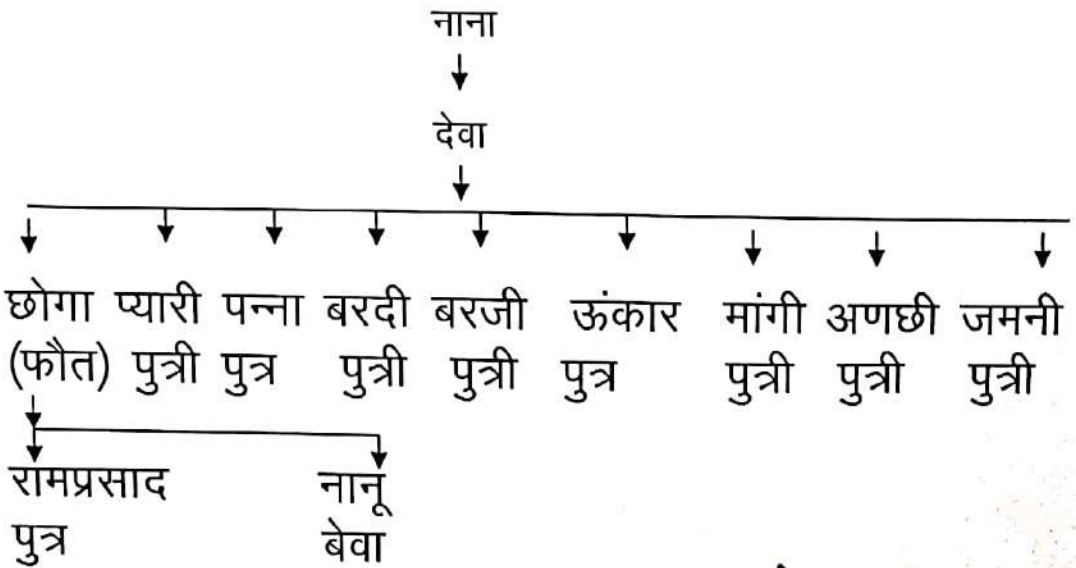

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-[illegible] एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

3. वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से वादीगण स्व0 देवाजी की लडकियॉ होने से प्रथम श्रेणी की वारिस हैं तथा वे वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है। देवाजी की मृत्यु के उपरान्त वादीगण का भी नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिये था परन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती कर अकेले प्रतिवादीगण ने अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया । प्रत्येक वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में 1/7 वॉ हक हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7, व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का भी 1/7 वॉ हक हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकारान वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है। वादीगण ने 10 दिसम्बर 2009 को प्रतिवादीगण को वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए कहा परन्तु वे इंकार हो गये। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का भी नाम प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रत्येक खातेदार का 1/7 वें हिस्से की भूमि का विभाजन कराकर प्रत्येक वादीगण के नाम अलग से दर्ज किये जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियता में वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें एवं मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द विक्रय, हस्तान्तरित नहीं करें।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई । दिनांक 8.8.2019 को

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिवक्ता अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने से अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। जिसके उपरान्त प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया ।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने राजस्व ग्राम ईरास पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित खाता संख्या 171 की आराजी नम्बर 2995 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 3033 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 3034 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 3035 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या 172 की आराजी नम्बर 2948 रकबा 3 बिस्वा, एवं आराजी नम्बर 3018 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 14 बिस्वा, भूमि एवं खाता संख्या 89 की आराजी संख्या 3020 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 3021 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 3038 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तैनी होने से प्रत्येक का 1/7 हक हिस्सा होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया । वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 5,6,7 की पुश्तैनी होकर श्री देवा जी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के देहावसान बाद विरासत से मिली है। अपीलाण्ट के पिता श्री देवा जी का देहावसान 2005 से पूर्व हो गया था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित पुत्रियॉ का अपने पिता की जायदाद में कोई हक अधिकार नहीं था लेकिन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से विवाहित पुत्रियों का पिता की जायदाद में हक अधिकार होने का प्रावधान किया गया है। अपीलाण्ट के पिता का देहावसान वर्ष 1985–1986 में हो जाने से उक्त वर्णित आराजियात अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट की भाई रेस्पोडेण्ट संख्या 5, 6, एवं 7 के पिता एवं पति को विरासत में मिली थी । अपीलाण्ट के भाई छोगा का देहावसान होने से उसका हिस्सा अपीलाण्ट संख्या 6 व 7 को विरासत से मिली है। वादग्रस्त आराजियात में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 का कोई हक अधिकार नही है एवं न ही मौके पर काबिज है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 का विववाह अपीलाण्ट के पिता ने किया था जो अपने ससुराल में निवास कर रही है जिनका अपीलाण्ट के पिता की जायदाद में कोई हक अधिकार प्राप्त नही हुआ है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट ने अपना 1/3 हक हिस्सा श्रीमती कंचन देवी पत्नी उमेश पारीक निवासी नई ईरास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर अपीलाण्ट के हिस्से पर कब्जा केता का करवा दिया था, जिनका राजस्व रेकार्ड में नाम इन्द्राज हो गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायाल में उक्त केता को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । जिसमें दिनांक 27.10.2015 को श्रीमती कंचन देवी पत्नी उमेश पारीक निवासी नई ईरास को पक्षकार बनाया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में सुनवाई हेतु नोटिस ही जारी नहीं किया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध एवं प्रदेश
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये केम्प कोर्ट सुवाणा में लोक अदालत में बिना अपीलाण्ट की सहमति के रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 का वाद स्वीकार कर सहहिस्सेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का वाद स्वीकार कर सहिस्सेदार घोषित किया है जो विधिविरूद्ध है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पक्षकारान की आपसी सहमति पर निर्णय किये जाने का प्रावधान है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के फुट स्टेप पर बने पक्षकार को बिना सुने एवं बिना सहमति के लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रकरण संख्या 7217/2013 प्रकाश एण्ड अन्य बनाम फूलवती एवं अन्य निर्णय दिनांक 16.10.2015 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। उक्त सिद्धान्त के अनुसार भी वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का कोई हक अधिकार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में आर आर टी 2018 (2) पेज 1310 आर आर टी 2018 (2) पेज 976 की ओर ध्यान आकर्षित किया । तथा साथ ही लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें समझौता करने के लिए अपने इरादा का संकेत करते हुए वाद या कार्यवाही के सभी पक्षकारों के द्वारा संयुक्त आवेदन का दाखिल किया जाना अनिवार्य है एवं जब ऐसा आवेदन किया जाता है । अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा कोई समझौता प्रकरण में नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ

(कैलाश चन्द लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है जिसमें प्रत्यर्थीगण/वादीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति व्यक्त की है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात में उसक हक हिस्से में आने वाली भूमि से अधिक भूमि का विक्रय बिना हक अधिकार किया है। जिसका अपीलार्थी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण/वादीगण को अपीलार्थी की बहस होने से इंकार नहीं किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक आराजियात में पुत्र व पुत्री का जन्म से ही अधिकार निहित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क, 188, 53 एवं 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम ईरास पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित खाता संख्या 171 की आराजी नम्बर 2995 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 3033 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 3034 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 3035 रकबा 1

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या 172 की आराजी नम्बर 2948 रकबा 3 बिस्वा, एवं आराजी नम्बर 3018 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 14 बिस्वा, भूमि एवं खाता संख्या 89 की आराजी संख्या 3020 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 3021 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 3038 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि पुश्तैनी होना बताते हुए वादग्रस्त आराजियात में देवा के सभी वारिसान का समान हक हिस्सा होने का कथन किया एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दिनांक 19.2.2010 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 12.4.2010 को अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 28.7.2011 में अंकन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब में प्रकरण विचाराधीन था। इसी दौरान दिनांक 12.12.2012 को प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 पन्ना पितादेवा गाडरी ने वादीगण/प्रार्थीगण को नुकसान पहूँचाने की गरज से जैर बहस आराजी संख्या 2993, 3033, 3034, एवं 3035 किता 4 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, एवं आराजी संख्या 2948, 3018 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3020, 3021 एवं 3038 किता 3 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा में से अपना हिस्सा कंचनदेवी पत्नि उमेश पारीक निवासी नई ईरास को विकय कर दिया । इसलिए केता कंचन पारीक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार कायम किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 27.10.2015 को निर्णय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू--प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं प्रकरण में संशोधित टाईटल पेश करने एवं प्रतिवादी संख्या 6 के जवाब हेतु आगामी दिनांक 21.12.2015 का अंकन किया गया । परन्तु आदेशिका दिनांक 21.12.2015 को वर्क सस्पेण्ट होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 4. 4.2016 नियत की गई। दिनांक 4.4.2016 को उभयपक्ष की उपस्थिति दर्शायी गई एवं वर्क सस्पेंण्ड होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 8–8–2016 नियत की गई।

13. नियत दिनांक 8.8.2016 से पूर्व ही प्रकरण को लोक अदालत कोर्ट केम्प सुवाणा में रखा गया । प्रकरण को लोक अदालत कैम्प मे रखे जाने से पूर्व पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने बाबत सूचित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। **''लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें समझौता करने के लिए अपने इरादा का संकेत करते हुए वाद या कार्यवाही के सभी पक्षकारों के द्वारा संयुक्त आवेदन का प्रस्तुत किया** गया हो। '' अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया। दिनांक 20.6.2016 की आदेशिका का अवलोकन किया गया जिसमें उंकार के दस्तखत एवं रामप्रसाद के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा सहमति से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया हो।

14. प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे में नियत था। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बन्द नहीं किया गया। दिनांक 27.10.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर केता श्रीमती कंचन देवी पत्नि उमेश पारीक को प्रतिवादी संख्या 6 संयोजित किये जाने के

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधी एवं पद
राजस्व अपला प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश के साथ ही संशोधित टाईटल एवं वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या प्रकरण को नियत किया गया था। प्रकरण में न तो संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया एवं न ही प्रतिवादी संख्या 1 अथवा प्रतिवादी संख्या 6 का कोई जवाब दावा ही लिया गया बल्कि सीधे ही प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में नियत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई एवं लोक अदालत कैम्प में प्रकरणों के निस्तारण की संख्या बढाने की दृष्टि से बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 6 का जवाब दावा लिया जाकर प्रकरण में तनकियात कायम किये जाने एवं उसके उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर तनकीवाईज निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.1.2020 को उपस्थित रहें।

16. निर्णय आज दिनांक 16.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.16 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: